

7/1/2022

आवेदन

प्रभावली पेशा डकी वकील आधी उपस्थित है। अधिवक्ता आधी
 को दिनांक 20/12/2022 से 31/12/2022 तक न अवसर
 देने के उपरान्त भी अधिवक्ता के नाम नोटिस तलबाना
 भेजकर उपलब्ध नहीं किया है। अधिवक्ता आधी को इतने
 अवसर देने के उपरान्त आज भी नोटिस तलबाना भेजकर
 पेशा नहीं किया है। एवं न ही नोटिस तलबाना उपलब्ध नहीं
 करने का कोई समुचित कारण न्यायालय के समक्ष उपलब्ध
 किया है। जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता के भांश 9 नियम
 5 अनुसार निर्धारित अवधि तक नोटिस तलबाना
 पेशा करने में असफल रहने पर वाद खारिज योग्य होने
 का प्रावधान है। अतः वादपत्र आदेश 9 नियम 5 CPC
 के अन्तर्गत अदम पालना / अदम लक्ष्मील में खारिज
 किया जाता है। प्रभावली फ़ैसल नुमाए हो। नम्बर से
 डम टोंडर कारिल एक्टर हो।

SDO, BHINAI